रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2014/चैत्र 19, 1936
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2014/CHAITRA 19, 1936

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2014

सं.एल–1/13/2010/केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(2)(म) के साथ पठित धारा 66 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैरा 5.7.1(च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार)(पहला संशोधन) विनियम, 2014 है।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:**

"22क पावर एक्सचेंज के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता तथा अनर्हता

(1) कोई व्यक्ति पावर एक्सचेंज के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति के पास न्यायसंगित तथा सत्यनिष्ठा, अच्छी प्रतिष्ठा तथा आचरण हो और वह ईमानदार रहा हो।

(2) कोई व्यक्ति, पावर एक्सचेंज के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

(क) उसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अद्यमता या कपट या किसी आर्थिक अपराध या किसी विधि के विरुद्ध कोई भी अपराध अंतर्वलित है तथा दंड की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई हो:

परंतु यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में सात वर्ष तक या उससे अधिक का कारावास दिया गया है तो वह किसी भी पावर एक्सचेंजों में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा; और

(ख) उसे अधिनियम या नियम या उनके अधीन बनाए गए विनियमों के किसी उपबंधों या समुचित आयोग या विद्युत अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेशों के अननुपालन के लिए किसी कार्यवाही में दोषी पाया गया हैं तथा आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई हो; या

(ग) उसे भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संबंधित अधिनियमों या विनियमों के अंतर्गत गठित किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के पद से अवरोधित, प्रतिषिद्ध या विवर्जित किया गया हो; या

(घ) उसके विरुद्ध किसी अंतिम कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय/अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है; या

(ङ) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो; या

(च) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है; या

(छ) उसे किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विक्षिप्त पाया गया है तथा जिसके निष्कर्ष प्रवृत्तन में हैं; या

(3) कोई व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित किसी भी निरर्हता के अंतर्गत आता है पावर एक्सचेंज के निदेशक के रूप में नियुक्ति या उस पद को जारी रखने के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) इस विनियम में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा निरर्हताएं पावर एक्सचेंज के विद्यमान निदेशकों को भी लागू होंगी।

(5) यदि पावर एक्सचेंज का कोई भी शेयरधारक, इस विनियम के खंड (2) तथा खंड (3) में यथा उल्लिखित किसी निरर्हता के अंतर्गत आता है तो ऐसा शेयरधारक या उसका नामनिर्देशिती पावर एक्सचेंज के बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विवर्जित होगा।

(6) यदि पावर एक्सचेंज के बोर्ड में किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में अर्हित/निरर्हित किए जाने के बारे में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो ऐसे प्रश्न पर केन्द्रीय आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।"

अजय कुमार सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/14]

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4, क्रम संख्या 33, तारीख 21.1.2010 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2014

No. L-1/13/2010/CERC.— In exercise of powers conferred under Section 66 read with Section 178(2) (y) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and paragraph 5.7.1 (f) of the National Electricity Policy, and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as 'Principal Regulations') namely:

1. **Short title and commencement**:

(i) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) (First Amendment) Regulations, 2014.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. A new Regulation shall be inserted after Regulation 22 of the Principal Regulations as under:-

"22A Qualifications and Disqualifications for appointment as Director in the Board of Power Exchange

(1) A person shall be considered as qualified to be appointed as a Director in the Board of Power Exchange if such person has a record of fairness and integrity, good reputation and character, and honesty.

(2) A person shall be considered as disqualified for appointment as Director of the Power Exchange, if:-

(a) he is convicted by a court of any offence involving moral turpitude or fraud or any economic offence or any offence against any law and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the conviction:

Provided that if the person is convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of seven years or more, he shall not be eligible to be appointed as a Director in any Power Exchange; or

(b) he is found guilty in any proceedings for non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or any order made by the Appropriate Commission or the Appellate Tribunal for Electricity and a period of five years has not elapsed from the date of the order; or

(c) an order restraining, prohibiting or debarring him to hold the post of Director in the Board of a Company has been passed by any other Regulatory Authority constituted under any law in force in India under their respective Acts or regulations; or

(d) an adverse order has been passed against him by a competent court/tribunal in a winding up proceedings; or

(e) he is an undischarged insolvent; or

(f) he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending; or

(g) he is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force.

(3) No person who suffers from any of the disqualifications prescribed under Companies Act, 2013 shall be eligible for appointment or continuation as Director of the Power Exchange.

(4) The qualifications and disqualifications specified in this regulation shall also be applicable to the existing Directors of the Power Exchanges.

(5) If any shareholder of the Power Exchange suffers from any of the disqualifications as mentioned in clauses (2) and (3) of this regulations, such shareholder or his nominee shall be debarred from being appointed as Director in the Board of the Power Exchange.

(6) If any question arises as to whether a person is qualified/ disqualified to be a Director in a Board of the Power Exchange, the decision of the Central Commission on such question shall be final."

A.K. SAXENA, Chief (Engineering)

[ADVT. III/4/Exty./150/14]

Note:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, Sr. No. 33, dated 21.1.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.